उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 13.12.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मासिक सैनिक सम्मेलन एवं अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गयी, जनपद में अपराध नियंत्रण, मिशन शक्ति अभियान व प्रभावी जनसुनवाई के सम्बन्ध में दिए सख्त निर्देश-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा दिनांक- 12.12.2025 की देर सायं पुलिस लाइन महोबा अवस्थित सभागार कक्ष में मासिक सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम सैनिक सम्मेलन में उपस्थित पुलिसकर्मियों की समस्याओं/शिकायतों का अनुश्रवण किया गया तथा उनके प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

- इसके उपरांत जनपद के विभिन्न थानों से आए पुलिसकर्मियों से परस्पर संवाद स्थापित करते हुए बीट प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक बीट सूचना पर संबंधित बीट कांस्टेबल अनिवार्य रूप से मौके पर जाकर जांच करें, अपराध की सत्यता की पुष्टि करें तथा आवश्यकता अनुसार अपराधी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। बीट बुक को अद्यतन रखने हेतु अभियान चलाए जाने के निर्देश देते हुए सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने अधीनस्थों की बीट बुक नियमित रूप से चेक किये जाने के निर्देश दिए गए।
- जनसुनवाई को शासन की प्राथमिकताओं में है जिसके सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया कि छोटे-छोटे मामलों में फरियादियों को अनावश्यक रूप से मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनक स्थिति है, ऐसे प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण थाना स्तर पर ही किया जाए। प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करने तथा पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाने के निर्देश दिए गए।

- साइबर अपराध के संबंध में निर्देश देते हुए कहा गया कि साइबर पोर्टल पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, पीड़ित का अधिकतम धनराशि बरामद/फ्रिज कराते हुए उसे वापस दिलाने का प्रयास किया जाए तथा आमजन को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया जाए। साथ ही साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्तियों से संवेदनशीलता के साथ संवाद कर उन्हें सुरक्षित परिवेश प्रदान करने के निर्देश दिए गए।
- बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया कि सभी थाना प्रभारी एवं यातायात प्रभारी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर दुर्घटना संभावित हॉटस्पॉट चिन्हित करें। मुख्य मार्गों के प्रवेश बिंदुओं पर गति नियंत्रक एवं यातायात संकेतक लगाए जाएं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाई जा सके।
- मिशन शक्ति अभियान पर विशेष बल देते हुए कहा गया कि महिला सशक्तिकरण पुलिस की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। इसके अंतर्गत हॉटस्पॉट एवं शोहदों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। सभी एंटी रोमियो स्क्वॉड को शोहदों का नामवार रजिस्टर तैयार करने, उनके वाहन नंबर, पता आदि अंकित करने तथा सघन पूछताछ करने के निर्देश दिए गए। आवश्यकता पड़ने पर उनके परिजनों को बुलाकर कड़ी हिदायत दी जाए। मिशन शक्ति अभियान के तहत स्कूलों एवं संवेदनशील स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्र-छात्राओं से संवाद स्थापित करते हुए उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए।
- इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में घटित अपराधों की बिंदुवार समीक्षा की गई। आगामी शीत ऋतु के दृष्टिगत रात्रि गश्त बढ़ाने, चोरी एवं नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम, ब्रह्मणशील गश्त, मुखबिर तंत्र को मजबूत करने, गुड मॉर्निंग नागरिकों की सूची तैयार कर सूचनाओं के आदान-प्रदान के निर्देश दिए गए। रात्रि गश्त के दौरान संदिग्ध वाहनों, विशेषकर अन्य जनपदों की गाड़ियों की सघन जांच सुनिश्चित करने को कहा गया।
- अपराध की रोकथाम हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि थानों के प्रवेश द्वार, संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थलों तथा महापुरुषों की प्रतिमाओं वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। संबंधित समितियों से समन्वय स्थापित कर निरंतर संवाद बनाए रखा जाए तथा किसी भी सूचना पर त्वरित रिस्पांस सुनिश्चित किया जाए।
- लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने लंबित मामलों पर कड़ी आपत्ति प्रकट की तथा अभियान चलाकर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। वांछित अभियुक्तों की त्वरित गिरफ्तारी तथा अवैध शस्त्र, जुआ, अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए गए।
- गोष्ठी के अंत में पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था एवं जनसेवा के प्रति और अधिक संवेदनशील व उत्तरदायी होकर कार्य करने के निर्देश दिए गए।
- इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री तेज प्रकाश सिंह, क्षेत्राधिकारी साइबर श्री गौरव उपाध्याय, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवकुमार सहित जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी एवं शाखा प्रभारी उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 13.12.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा “थाना समाधान दिवस” के अवसर पर आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुना गया एवं उनके निराकरण हेतु दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

- आज दिनांक 13.12.2025 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा थाना कोतवाली नगर महोबा पहुँचकर क्षेत्र से आए फरियादियों की समस्याओं की जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय सहित समस्त पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई।

- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा सभी को उनकी शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने मौके पर ही राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों का गठन कर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि थाना समाधान दिवस का मुख्य उद्देश्य जनसामान्य की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनते हुए पारदर्शी, त्वरित एवं न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करना है।

- इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा थाना चरखारी में क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे, थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा अन्य पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जनसमस्याओं की सुनवाई कर सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश दिए गए।

- इसी प्रकार क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा थाना कबरई में थानाध्यक्ष कबरई श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया एवं अन्य पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में जनसुनवाई की गई तथा प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

- इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अपने-अपने थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करते हुए संयुक्त टीमों द्वारा मौके पर जाकर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की गई।

- थाना समाधान दिवस के अंतर्गत जनपद में कुल 37 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें 30 शिकायतें राजस्व से सम्बन्धित तथा 07 शिकायतें पुलिस से सम्बन्धित पाई गईं। इस दौरान मौके पर ही 07 शिकायतों का त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया है तथा प्राप्त अन्य समस्त शिकायतों के समाधान/निस्तारण हेतु प्रभावी कार्यवाही प्रगति पर है।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना चरखारी का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया, व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा कर कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने के दिए कड़े निर्देश-

- आज दिनांक 13.12.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे एवं थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह की उपस्थिति में थाना चरखारी का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना की समस्त व्यवस्थाओं, अभिलेखों एवं कार्यप्रणाली का गहन अवलोकन करते हुए थाना क्षेत्र में शान्ति एवं कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।
- निरीक्षण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना परिसर की सफाई व्यवस्था, बैरक, मैस, हवालात, वाहन पार्किंग एवं शौचालयों की स्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया तथा सभी व्यवस्थाओं को मानक के अनुरूप, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
- शस्त्रागार का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा मानकों, शस्त्रों के रख-रखाव एवं संबंधित रजिस्टरों की जांच की गई। उन्होंने अभिलेखों को समयबद्ध एवं अद्यतन रखने पर विशेष बल दिया। इसके साथ ही अपराध रजिस्टर, त्यौहार रजिस्टर, ग्राम अपराध रजिस्टर, चुनाव रजिस्टर एवं फ्लाईशीट सहित अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों का अवलोकन कर इन्हें नियमित रूप से अपडेट रखने के निर्देश दिए गए।
- माल मुकदमाती वाहनों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी माल मुकदमाती वाहनों पर मुकदमा संख्या का स्पष्ट एवं स्थायी अंकन क्रमवार रूप से किया जाए, ताकि पहचान में किसी प्रकार की अस्पष्टता न रहे तथा निस्तारण की कार्यवाही शीघ्र, पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से सुनिश्चित की जा सके।
- निरीक्षण के दौरान मिशन शक्ति केन्द्र/महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया गया। यहां दर्ज होने वाली महिला संबंधी शिकायतों की प्रक्रिया एवं उन पर की जा रही कार्यवाही की समीक्षा करते हुए ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतें स्पष्ट रूप से दर्ज हों, कार्यवाही अद्यतन रहे तथा पीड़ित महिलाओं से समय-समय पर फीडबैक लेकर कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। महिला बीट अधिकारियों की बीट बुक का गहन अवलोकन करते हुए बीट बुक को पूर्णतः अपडेट रखने, नियमित क्षेत्र भ्रमण करने तथा क्षेत्र की महिलाओं से निरंतर संवाद बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।
- अंत में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों को जन-संवेदनशीलता, अनुशासन एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करते हुए थाना क्षेत्र में शान्ति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 13.12.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

"मिशन शक्ति 5.0 : जनपद महोबा में महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए सतत प्रयास"

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 13.12.2025 को जनपद महोबा में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अभियान के अंतर्गत जनपद के सभी थानों द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायतों एवं समुदायों में चौपालों का आयोजन कर ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया गया तथा उनकी समस्याओं के त्वरित एवं विधिक निस्तारण हेतु जागरूक किया गया। मिशन शक्ति के उद्देश्यों—महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन—को जन-जन तक पहुँचाने के लिए टीमों द्वारा सतत प्रयास किए गए।

थानों की एंटी-रोमियो टीमों द्वारा बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष चेकिंग एवं जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान टीमों ने बालिकाओं, महिलाओं एवं आमजन को मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपद के थानों में संचालित मिशन शक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली एवं सेवाओं की जानकारी प्रदान की।

साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों, आत्मरक्षा के उपायों तथा महिला सुरक्षा कानूनों के संबंध में विस्तारपूर्वक जागरूक किया गया। कार्यक्रमों के दौरान निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइनों महिला हेल्पलाइन : 1090, आपातकालीन सेवा : 112, चिकित्सा सहायता : 108, बाल सहायता नंबर : 1098, साइबर हेल्पलाइन : 1930, साइबर शिकायत : cybercrime.gov.in की जानकारी भी दी गई।

इन सेवाओं के उपयोग हेतु महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रेरित करते हुए यह संदेश दिया गया कि पुलिस हर समय उनके साथ है और उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के माध्यम से महोबा पुलिस का उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना, उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना तथा समाज में महिला सम्मान की भावना को और सुदृढ़ करना है।

साइबर हेल्प डेस्क थाना अजनर की पुलिस टीम द्वारा गुम हुए मोबाइल को खोजकर मोबाइल स्वामी को किया गया सुपुर्द। "महोबा पुलिस की साइबर हेल्प डेस्क निरंतर सक्रिय"

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में जनपद स्तर पर गठित साइबर हेल्प डेस्क द्वारा निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक 13.12.2025 को साइबर हेल्प डेस्क थाना अजनर की टीम द्वारा साइबर संबंधी शिकायतों के निस्तारण अभियान के तहत C.E.I.R. PORTAL पर प्राप्त शिकायत के निस्तारण के क्रम में आवेदिका भावना चन्देल पत्नी मुकेश चन्देल निवासी ग्राम अजनर थाना अजनर जनपद महोबा का 01 अदद खोया हुआ मोबाइल बरामद कर आवेदिका को सकुशल सुपुर्द किया गया है। इस अवसर पर आवेदिका द्वारा थाना अजनर पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया गया।

बरामदगी विवरण-

एक अदद मोबाइल Realme कीमत 15999/- रुपये।

साइबर हेल्पडेस्क टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्री सत्यपाल सिंह
2. का0आ0 अमित कुमार 3. का0मु0 रावेश कुमार 4.म0का0 अंशू सिंह

साइबर हेल्प डेस्क से संबंधित जनहित अपील-

यदि किसी नागरिक का मोबाइल गुम/चोरी हो जाता है तो उसको ceir.gov.in पोर्टल से आम जन नागरिक ब्लाक करा सकते हैं साथ ही यदि कोई साइबर धोखाधड़ी का शिकार होता है तो वह तत्काल नजदीकी थाना, साइबर हेल्प डेस्क अथवा टोल-फ्री नंबर 1930 पर संपर्क करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। साइबर हेल्प डेस्क पर सूचना देने से पुलिस को त्वरित कार्रवाई में सहयोग मिलता है और बरामदगी/निवारण की संभावना बढ़ जाती है। किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें एवं व्यक्तिगत अथवा बैंक संबंधी जानकारी अजनबियों से साझा न करें।